

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

5/13-14

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख 5/4/13 से 16/4/13 तक

आदेश पत्रक

जिला पटना अनुमण्डल:- बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार अपराध (अ)

कमाल देवला खजाम एवं वर्ष 2013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
5/4/13	<p>श्री/श्रीमति <u>उपेक्षा कुमारी</u>                      पिता/प्रति <u>श्रीम. कालू शर्मा</u> ग्राम <u>मधु</u>                      थाना <u>मधु</u> जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित                      जमीन बिक्री/दानपत्र/वख्शीशानामा बंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी                      द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया                      है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को                      अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन                      समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>9/4/13</u> को उपस्थापित करे।</p> <p style="text-align: center;"><b>जमीन का विवरण</b></p> <p>ग्राम/थानानं० <u>मधु</u> खाता नं० <u>483, 1185</u>                      खेसरा <u>396, 395</u>                      रकबा <u>02-03125</u></p> <p style="text-align: right;"><u>5/4/13</u>                      अंचल अधिकारी                      बाढ़</p>	<p>आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित</p>

9/4/13

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विकी पत्र/दानपत्र/वखशीसनामा  
बैंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः  
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम  
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15/4/13  
को उपस्थापित करे। 15/4/13

अंचल अधिकारी  
बाढ़

15/4/13

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा  
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 16/4/13  
को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

16/4/13

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर  
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की  
स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करे।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

अंचल अधिकारी  
बाढ़